राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, अलवर

कमाकः खअ/अल/2019/66

दिनांक 07.02.2019

श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता
जयपुर।

विषयः– दैनिक भास्कर में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित समाचार "अरावली मे चौकीदार ही चोर है"के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार पत्रांक मु.म./सं स (एल. टी)/2019/11152 दिनांक 07.02.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अलवर दैनिक भास्कर **में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित समाचार "अरावली मे चौकीदार ही चोर है"**के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक टिप्पणी पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

7/2/19

(आर.एन.मंगल)
खनि अभियन्ता, अलवर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, अलवर

अलवर दैनिक भास्कर मे दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित समाचार **"अरावली मे चौकीदार ही चोर है"**....के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक टिप्पणी:–

माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित रिट पीटिशन (सिविल) संख्या 202/1995 टी एन गौड़ावर्मन व भारत संघ में दायर आई.ए. संख्या 828 व अन्य में पारित आदेश की पालना में फॉरेस्ट सर्वे आफॅ इण्डिया, देहरादून की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जिला अलवर कें कुल 274 आईएमपी (illgal mining polygon) क्षेत्र है, उक्त आईएमपी का भौतिक सत्यापन बाबत श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर द्वारा आदेश दिनांक 12.06.2018 से खान विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों का संयुक्त दलों का गठन किया गया। संयुक्त दल द्वारा 41 आईएमपी का भौतिक सत्यापन किया गया भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार खनन के ताजा निशानात नहीं पाये गये लेकिन पुराने खनन के निशानात पाये गये। 41 आईएमपी में सें 33 आईएमपी में खनन वन भूमि में होना पाया जाने पर उपवन संरक्षक, अलवर को कार्यवाही हेतु लिखा गया, 4 आईएमपी में खनन होने से निकटतम खनन पट्टाधारी को नोटिस जारी किये गये तथा 4 आईएमपी स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र, जिनमे खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश दिनांक 12.12.1996 से प्रतिबन्धित है। जिला अलवर में कुल 274 आईएमपी (illgal mining polygon) क्षेत्र में सें 220 आईएमपी इस कार्यालय क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है शेष 54 आईएमपी कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली से सम्बन्धित होने से भौतिक सत्यापन की कार्यवाही उनके स्तर पर की जा रही है।

अरावली हिल्स में 31 पहाडी समाप्त हो जाने के क्रम में फॉरेस्ट सर्वे आफॅ इण्डिया, देहरादून पत्र दिनांक 15.11.2018 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कुल 128 पैच आईडी में सें 31 पैच आईडी जिला अलवर से सम्बिन्धित पायी गई। जिनका तकनीकी दल द्वारा मौका देखा गया तथा क्षेत्र के मौके पर फोटोग्राफ लिये गये। मौका रिपोर्ट अनुसार अधिंकाश पैच आईडी कें 500 मीटर की परिधि में अवैध खनन होना नहीं पाया गया तथा पैच आईडी के केन्द्र में खेत, स्कूल, आबादी, क्षेंत्र ईन्डस्ट्रीयल एरिया आदि पाये गये।

अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर दिये गये निर्देशों की पालना में खान विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियो/कार्मिकों के संयुक्त दल द्वारा जिले में अवैध खनन/निगर्मन /स्टॉक के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाकर अवैध खनन पर अंकुश लगाया है। वर्ष 2013–14 से अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के विरूद्ध कुल 1566 प्रकरणों बनाये जाकर

कुल शास्ति राशि रूपये 759.79 लाख वसूल कर 430 प्रकरणों में एफआईआर सम्बन्धित पुलिस थानों में दर्ज करायी गई ।

दिनांक 05.02.2019 सें निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में कार्यालय क्षेत्राधिकार के शेष 179 आईएमपी में सें 95 आईएमपी का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा चुकी है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार 75 आईएमपी में अवैध खनन के पुराने पिट के निशानात पाये गये, जो अधिकांश वन भूमि क्षेत्र से सम्बन्धित होने से कार्यवाही वन विभाग से अपेक्षित है। शेष 84 आईएमपी का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रकाशित समाचार में तहसील तिजारा के कहरानी, जोडिया का पहाड़, टपूकड़ा आदि क्षेत्रों मे खनन के फोटोग्राफ के सम्बन्ध में हलका फॉरमेन से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार उक्त दर्शायें गये खनन बहुत पुराना है मौके पर खनन वर्तमान में नहीं हो रहा है तथा उक्त क्षेत्र वन भूमि क्षेत्र में पड़ते है।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

७/२/१९

खनि अभियन्ता, अलवर